फुटपाथ दुकानदारों के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय नीति

1. प्रस्तावना

हमारे देश में व्यवसाय के रुप में फुटपाथ दुकानदारी का अस्तित्व आदिकाल से रहा है। हालांकि, हाल के वर्षों में इसकी संख्या में अधिकाधिक बढ़ोत्तरी हुई है। शहरी क्षेत्र में स्ट्रीट वेंडरों का एक बड़ा भाग कम दक्षता वाले लोगों का है और ये वे हैं, जो छोटे कस्बों व देहात से रोजगार की तलाश में यहां आए। फुटपाथ दुकानदारी करने वालों में शहरी जनसंख्या का एक और भाग ऐसे लोगों का है, जो खुद या जिनके पति/पत्नी संगठित क्षेत्र में नियमित रोजगार कर रहे हों। बड़े स्तर के कई उद्योगों के बंद होने और उनके सिमटने के कारण लोगों के रोजगार खत्म हो गए। इनमें से कई श्रमिक या उनकी पत्नी जीविका के लिए फेरी–टोकरेवालों का कार्य करना शुरु कर दिया। यह अनुमान है कि मुंबई और अहमदाबाद के तकरीबन 30 फिसद्दी और कोलकाता के 50 फिसद्दी से अधिक फुटपाथ दुकानदारों ने यह पेशा संगठित क्षेत्र में रोजगार छिन जाने के बाद अपनाया।

अतः पिछले कुछ दशकों के दौरान हम भारत के प्रमुख शहरों में फुटपाथ दुकानदारों की संख्या में महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी को देख सकते हैं। मुंबई में फेरी–टोकरेवालों की संख्या सर्वाधिक 2,50,000 है। कोलकता में 1,50,000 से अधिक और अहमदाबाद में करीब 1,00,000 फुटपाथ दुकानदार हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि महानगरों की जनसंख्या में करीब 2 प्रतिशत संख्या स्ट्रीट वेंडरों की है। देश में फुटपाथ दुकानदारों की संख्या करीब 1 करोड़ है और भविष्य में इसमें लगातार बढ़ोत्तरी की संभावना है।

साथ ही हमें इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि फुटपाथ दुकानदारी सिर्फ इसलिए अस्तित्व में नहीं है कि यह रोजगार का प्रमुख साधन है, बल्कि यह शहरवासियों को यह सेवा प्रदान करता है इसलिए भी। शहरों के निवासी कुछ उत्पादों जैसेः सब्जी, फल के लिए पूर्णतः और कपड़े, होजियरी व जूतों जैसे उत्पादों के लिए अशतः स्ट्रीट वेंडरों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह फुटपाथ दुकानदार न सिर्फ शहरी गरीबों के अस्तित्व बनाए रखने में सहायक होते हैं बल्कि शहर की जनसंख्या के सभी भागों को अमूल्य सेवा प्रदान करते है।

लेकिन, दुर्भाग्य से स्थानीय शहरी निकाय और पुलिस उक्त पहलू पर ध्यान नहीं देती है और अधिकांशतः वे स्ट्रीट वेंडिंग को अवैधानिक मानते हैं। फुटपाथ दुकानदारों को मुख्य नुकसान नगर निगम व पुलिस कानून की कुछ धाराओं से है। फुटपाथ दुकानदार शहरी अर्थव्यवस्था में सकारात्मक भूमिका अदा करते हैं इसलिए इन कानूनों को स्ट्रीट वेंडरों के प्रति निषेधात्मक होने के बजाय अधिक सकारात्मक और समायोजनात्मक होना चाहिए। ध्यान निषेध के बजाय नियंत्रण पर होना चाहिए और शहरी स्थानीय निकायों को असंगठित क्षेत्र के इस भाग के रक्षक के रुप में सामने आना चाहिए।

इस बात को जरुर मान्यता दिया जाना चाहिए कि स्ट्रीट वेंडर सिर्फ इसलिए अपना व्यवसाय कर पाते हैं क्योंकि जनता चाहती है कि वे ऐसा करें। इसके उलट कहा जा सकता है कि फुटपाथ दुकानदारी नागरिकों की स्वीकृति के बगैर नहीं किया जा सकता है। यह देखा जा सकता है कि फुटपाथ दुकानदार ऐसे स्थानों पर व्यवसाय करते हैं, जहां लोगों का जमावड़ा होता है। इन स्थानों के स्वाभाविक बाजार में तब्दील होने की संभावना होती है, क्योंकि ये ग्राहकों के लिए सबसे सुविधाजनक स्थान है। बस टर्मिनलों और रेलवे स्टेशनों के पास इस कारण फुटपाथ दुकानदारों की संख्या काफी रहती है, काम से घर लौटने के क्रम में लोगों को इन स्थानों पर फुटपाथ दुकानदारों

से सामान खरीदना सुविधाजनक लगता है। इसी तरह, अस्पताल के आसपास फल और हरे नारियल बेचने वाले फुटपाथ दुकानदार पाये जाएंगे और पूजा वाले जगहों, खासकर मंदिरों के पास फल और फूल बेचने वाले तथा नगर निगम के बाजारों में बड़ी संख्या में सब्जी, फल और मसाले आदि बेचने वाले फुटपाथ दुकानदार पाये जाएंगे। शहरी स्थानीय निकायों और दूसरे अधिकारी इन्हें अतिक्रमणकर्ता के रुप में देखते हैं और इनकी मंशा फुटपाथ दुकानदारों को इन जगहों से हटाने की होती है। इस बात को मान्यता मिलनी चाहिए कि ऐसे बाजारों का अस्तित्व मुख्यतः इसलिए है, क्योंकि वे अपने ग्राहकों, खासकर गरीब तबकों को मूल्यवान सेवा प्रदान करते हैं। इसलिए प्रमुख शहरी जनसंख्या को महत्वपूर्ण सेवा प्रदान करने वाले इन बाजारों के अस्तित्व की पहचान की जरुरत है। स्वाभाविक बाजारों को हटाए जाने के बजाय उन्हें नियंत्रित करने की जरुरत है।

स्ट्रीट वेंडर शहरी गरीब जनसंख्या के भाग हैं, जो सम्मानित जीवन जीने के लिए रोजगार के अवसर निर्मित करते हैं। वे अपने मौलिक अधिकार का उपयोग करते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेउ 19 (1) जी के तहत कोई भी व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार प्रत्येक भारतीय को है। शीर्ष न्यायालय ने उचित नियंत्रण में फुटपाथ दुकानदारों के अधिकारों को सोधन सिंह बनाम नई दिल्ली नगर निगम समिति मामले में पहचान दिया। फैसला में कहा गया है 'अगर उचित ढंग से परिस्थितियों की अपेक्षा के अनुसार नियंत्रित किया जाय तो फुटपाथ के छोटे व्यवसायी रोजमर्रे के उपयोग के जरुरी सामान तुलनात्मक रुप से कम दामों पर उपलब्ध करा कर, आम जनता के लिए अपेक्षाकृत अधिक सुविधा और आराम पहुंचा सकते हैं। एक सामान्य आदमी, जो बहुत धनी नहीं होता है, जब दिन भर के काम के बाद घर लौटने की हड़बड़ी में होता है, तब वह नियमित बाजार ढूंढ़ने के बजाय रास्ते में ही चीजें खरीद सकता है। व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 (1) जी में उल्लिखित है। अगर उचित नियंत्रण में किया जाय तो फुटपाथ पर दुकानदारी को सिर्फ इस आधार पर नहीं बंद किया जा सकता है कि वह सिर्फ आने–जाने के लिए है, दूसरे किसी कार्य के लिए नहीं। संविधान के अनुच्छेद 39 (ए) और (बी) में कहा गया है कि :

- नागरिकों, पुरुष और महिला दोनों, को आजीविका का पूर्ण अधिकार है।
- समुदाय के भौतिक स्त्रोतों का स्वामित्व और नियंत्रण इस तरह से हों कि साझे सामानों का सर्वाधिक उपयोग हो सके।

जीविका कमाने के क्रम में फुटपाथ दुकानदार शहरी जनसंख्या को मूल्यवान सेवा प्रदान करते हैं। यह नीति शहरी जनसंख्या के इस महत्वपूर्ण भाग द्वारा समाज को दिए जा रहे योगदान के लिए उनकी पहचान सुनिश्चित करने की कोशिश है।

स्ट्रीट वेंडर को एक ऐसे व्यक्ति, जो विशाल जनसंख्या के नागरिकों को बेचने के लिए आवश्यक निश्चित संरचना के बिना सामान बेचता है, के रुप में परिभाषित किया गया है। फुटपाथ दुकानदार इन अर्थों में स्थिर हो सकते हैं कि वे फुटपाथ या सार्वजनिक या निजी स्थानों पर जगह घेर कर दुकान लगाए हों। साथ ही वे अपने ठेला गाड़ियों या टोकरियों में समान लिए हुए एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर सामान बेचते हुए गतिशील हो सकते हैं। इस नीतिगत दस्तावेज में फुटपाथ दुकानदार के अंतर्गत स्थिर और गतिशील दोनों तरह के फेरीवालों को शामिल किया गया है और इसके अंतर्गत दूसरे सभी स्थानीय/क्षेत्रीय शब्द जो फुटपाथ दुकानदारों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे हॉकर, फेरीवाला, लॉरीगल्ला, रेहड़ी–पटरी, साइडवाक ट्रेडर्स, नैपदई व्यापारीगल आदि को भी शामिल किया गया है।

2. लक्ष्य

इस नीति के तहत जिस मुख्य लक्ष्य को पाने की कोशिश है, वे हैं–स्ट्रीट वेंडरों की आजीविका के लिए स्वच्छ वातावरण तैयार करना व प्रोत्साहित करना। साथ ही शहरवासियों की सुविधा के लिए शहर की सुंदरता बनाए रखने की कोशिश । दूसरे शब्दों में,इस नीति का लक्ष्य है कि फेरी–टोकरेवालों के अधिकार की रक्षा और सार्वजनिक स्थानों की रक्षा के बीच संतुलन और वैधानिक ढंग से यातायात गतिशीलता बरकरार रखना।

3. उद्देश्य

इस नीति के आधारभूत उद्देश्य निम्न हैंः

- कानूनों के निर्माण व उनमें संशोधन के द्वारा और उन्हें लागू करवा कर वेंडरों को वैधानिक मान्यता प्रदान करना साथ ही शहरी योजनाओं में फेरी क्षेत्र को उचित स्थान देना।
- उचित व चिह्नित स्थानों के प्रयोग हेतु फेरी–टोकरेवालों के बीच कानूनी पहुंच और सुविधा प्रदान करना और शहरी योजनाओं में फेरी क्षेत्र सुनिश्चित करना।
- फुटपाथ दुकानदारों को शहरी वितरण प्रणाली का प्रमुख अंग मानते हुए उन्हें शहर विकास योजनाओं का खास घटक बनाना।
- नियंत्रण लागू करना और फुटपाथ दुकानदारों के मध्य स्व–नियंत्रण को बढ़ावा देना।
- स्ट्रीट वेंडर संगठनों जैसे, यूनियन / को–ऑपरेटिव / ऐशोसिएशन आदि का उन्हें सशक्त बनाने के लिए बढ़ावा देना।
- स्ट्रीट वेंडर व हॉकर संगठनों (यूनियन / को–ऑपरेटिव / एसोसिएशन) स्वयं सेवी संगठनों, स्थानीय अधिकारियों, पुलिस, स्थानीय कल्याणकारी संगठनों (आर डब्ल्यू. ए) और अन्य आदि प्रतिनिधियों के साथ मिलकर कर उचित ढंग से फुटपाथ दुकानदारी को चलाने हेतु एक उचित साझीदार–तंत्र निर्मित करना।
- फुटपाथ दुकानदारों के बेहतर भविष्य को बढ़ावा देने के लिए उनके पुनर्वास हेतु उचित हस्तक्षेप के माध्यम से उपाय करना।
- समाजिक सुरक्षा (पेंशन, बीमा आदि) देना / प्रोत्साहित करना और स्वयं सहाय समूहों / सहकारिता समितियों / गठजोड़ों आदि को बढ़ावा देते हुए फुटपाथ दुकानदारों तक वितीय सहायता उपलब्ध कराना।

4. फुटपाथ दुकानदारों के लिए नीति के तत्व

4.1 योजना मानकः–

शीर्ष न्यायालय के आदेश के मद्देनजर कुछ शहरों में फुटपाथ दुकानदारी को नियंत्रित करने के लिए कुछ दिशा–निर्देश तैयार किए गए हैं। हालांकि, किए गए उपाय ''हॉकरों के विभिन्न जगहों पर पाये जाने की स्वाभाविक प्रवृति'' पर आघारित नहीं हैं, इसके उलट यह स्वाभाविक बाजार से पूर्णतः असहमत है और स्थानों पर इसे लागू करने के लिए किसी योजना का प्रावधान नहीं है।

4.1.1 स्थनिक योजना मानक– फेरी क्षेत्र चिह्नित करना

क्षेत्रों और मानकों (मात्रात्मक) को निश्चित शहरों / कस्बों के अनुसार चिह्नित किया जाएगा । विभिन्न शहरों / कस्बों के हॉकरों के लिए सहायक और पर्याप्त योजना बनाने में निम्न बातों का ध्यान रखा जाना चाहिएः

- इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि कुछ स्थानों पर फुटपाथ दुकानदारों को पाये जाने की स्वाभाविक प्रवणता होनी चाहिए।
- शहर अधिकारियों को पर्याप्त संख्या में हॉकरों को जगह दिया जाना चाहिए।

- मात्रात्मक मानकों को अभिन्यास योजना में वास्तविक स्थानों के प्रावधान द्वारा संपूरक बनाना चाहिए।
- जो क्षेत्र 'फेरी निषेधित' नहीं हैं, वहां फेरी को मान्यता दिया जाना चाहिए।
- शहरों और कस्बों के विकास के साथ नए क्षेत्रों में फुटपाथ दुकानदारों के लिए पर्याप्त जगह दिया जाना चाहिए।
- फेरी क्षेत्र और फेरी निषेधित क्षेत्र का निर्माण जन निकायों पर पूर्णतः नहीं छोड़ा जाना चाहिए, अपितु इसके लिए एक समिति का निर्माण होना चाहिए जिसके सदस्य निम्न विभागों से होने चाहिए :
    - o यातायात पुलिस
    - o नगर निगम
    - o स्थानीय पुलिस
    - o भूमि स्वामित्व अधिकरण
    - o एसोसिएशन (बाजार, व्यवसायी, निवास कल्याण आदि)
    - o फुटपाथ दुकानदारों के प्रतिनिधि

वार्ड समितियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए किः

- ❖ बनाए गए प्रावधान व्यावहारिक और इसके अंतर्गत शहर के सभी तत्कालीन फुटपाथ दुकानदार आने चाहिए।
- ❖ साप्ताहिक बाजारों का प्रावधान ।
- ❖ पार्किंग व दूसरे खुले स्थानों का ऐसे समय में बाजार के रुप में उपयोग जब वहां कार्य न हो रहा हो ।
- ❖ फेरी के लिए समय निश्चित करना ।

4.1.2 **मात्रात्मक मानक** :– दिए जाने वाले स्थानों का माप/वेंडरों की संख्या जिन्हें स्वीकृति मिली हो।

- शहर की पूरी जनसंख्या के कम–से–कम 2.5 प्रतिशत लोगों के साथ सामंजस्य बैठाने के लिए शहरी स्तर पर फुटपाथ दुकानदारों को पर्याप्त जगह दिया जाना चाहिए।
- प्रयोग में लाए जा रहे जगहों पर आश्रित वेंडरों की संख्या निश्चित की जानी चाहिए ।
- सर्वेक्षण के बाद प्रत्येक शहर को अपना मानक स्वयं तैयार करना चाहिए।

(अनुसूची–1 देखें,– दिल्ली मास्टर प्लान में शामिल सांकेतिक मानक)

4.1.3 **गुणवत्ता निर्देश**

- कूड़ा–कचरा निष्पादन के लिए प्रावधान ।
- सफाई बनाए रखने के लिए सार्वजनिक शौचालयों का प्रावधान ।
- चलन्त गाड़ियों और ठेला गाड़ियों के सौंदर्यपरक डिजायन निर्माण ।
- बिजली सुविधा का प्रावधान ।
- पीने के पानी का प्रावधान ।
- उनके सामानों की और उनकी गर्मी, पानी व धूल से रक्षा के लिए सुरक्षात्मक कवरों के प्रावधान ।

4.2 अभिशासन एवं अभिपालन

वेंडरों को लाइसेंस देने को उन्हें वैधानिक स्थिति प्रदान करने के रुप में देखा जाता है, जिससे उन्हें सम्बद्ध अधिकारियों द्वारा उत्पीडन व शोषण और हटाये जाने से मुक्ति मिलती है। हालांकि, दिए गए लाइसेंस प्रणाली की अपर्याप्यता और भाड़ा लेने की क्रियाएं व लाइसेंस नहीं देने में

अधिकारियों के निहित स्वार्थ के कारण इस प्रणाली को बंद करना युक्तियुक्त विकल्प लगता है। हालांकि, कार्य पर आधारित चुनाव के आधार पर दूसरे विकल्प भी होने चाहिए। इन विकल्पों को स्थानिक योजना उपकरण के रुप में कार्य करना चाहिए । अतः मानक योजना पर आधारित हॉकरों के पंजीकरण का तरीका अपनाना चाहिए तथा यह पंजीकरण व्यवसाय/सेवा की प्रवृति और स्थान पर आधारित होना चाहिए ।

- पंजीकरण की प्रक्रिया के लिए किसी जन निकाय पर पूर्णतः निर्भर नहीं होना चाहिए ।
- पंजीयन का अधिकार वार्ड समिति में निहित होगा, जिसमें शामिल होंगे : फुटपाथ दुकानदारों, नियोजकों, पुलिस, स्थानीय पार्षद,निवास कल्याण एसोसिएशन, व्यवसायी एसोसिएशन आदि के प्रतिनिधि ।
- प्रत्येक शहर में पंजीयन की प्रक्रिया होनी चाहिए ।
- प्रत्येक शहर के सभी वेंडर पंजीकृत होने चाहिए।
- पंजीकरण की प्रक्रिया निश्चित तौर पर साधारण होनी चाहिए ।

4.2.2 वार्ड समिति यह अधिकार भी होंगे कि :

- फेरी के लिए नियम व शर्त्ते (योजना) तैयार करें।
- दोषी फुटपाथ दुकानदारों के लिए सुधारात्मक कदम उठायें

4.2.3 हॉकरों और स्थानीय शहरी निकायों के बीच सीधे संबंध होने चाहिए ताकि निम्न शुल्कों के लिए उनका शोषण व उत्पीड़न न हो :

- o पंजीयन शुल्क
- o मासिक रख–रखाव शुल्क
- o कोई दंडात्मक राशि, अगर हो तो आदि ।

- प्राप्त पंजीयन शुल्क और मासिक शुल्क का एक आनुपातिक राशि वार्ड समिति को दिया जायेगा ताकि उसे स्थानीय प्राधिकरण से अपने अभियान को चलाने के लिए कम–से–कम आर्थिक सहायता लेना पड़े।
- फुटपाथ दुकानदारों को पहचान–पत्र दिए जाऐंगे, जिसमें होंगेः
  - o पति और पत्नी के फोटो
  - o परिवार के एक नामित व्यक्ति का फोटो
  - o परिवार के दूसरे सदस्यों के नाम (इसका प्रयोग स्वास्थ्य अन्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए किया जा सकता है।)
  - o (14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को दुकान चलाने के लिए पहचान–पत्र देने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी) ।
  - o व्यवसाय की प्रवृति

4.3 नियंत्रण प्रक्रिया

वार्ड समिति में निम्न कार्यों के लिए भी पर्याप्त शक्ति व स्त्रोत निहित होंगेः

- सम्बद्ध वार्डो में फेरी व फुटपाथ दुकानदारी पर पूर्ण नजर रखना।
- सुधारात्मक कार्यवाई करना ।
- जरुरत पड़ने पर शहर स्तरीय समिति को सूचना देना ।
- खास फेरी नियम में बदलाव/पुर्नमूल्यांकन के लिए अनुमोदन करना ।

राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी होंगे जो प्रदेश के फेरी टोकरेवालों के कार्यों व गतिविधियों की सूचना केन्द्रीय मंत्रालय को देंगे ।

5. उजाड़ना

अपने जगहों से जबर्दस्ती हटाना या उजाड़ना फुटपाथ दुकानदारों के जीविका के मौलिक अधिकार पर एक करारा तमाचा है। इसके कारण उन्हें लंबे समय तक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, वे निर्धन हो जाते हैं और उन्हें दूसरे प्रकार की हानियों का सामना करना पड़ता जिसमें उनकी पहचान के खोने की समस्या भी होती है और यह तब तक ऐसा ही रहेगा, जब तक सावधानीपूर्वक पुनर्वास योजनाए ंबनाकर उन्हें लागू न किया जाय। अतः किसी भी फुटपाथ दुकानदार को पुनर्वास के बगैर जबरदस्ती नहीं हटाया जा सकता है। हटाये जाने की प्रक्रिया तभी आरंभ की जानी चाहिए जब किस सार्वजनिक स्थल की अति आवश्यकता हो न कि सौंदर्यीकरण के नाम पर । इसलिए, नीति में कहा गया है कि :

क) जहां संभव हो वहां हटाये जाने को रोका जाना चाहिए या न्यूनतम करना चाहिए।
ख) जहां हटाया जाना एकदम जरुरी हो, वहां के फुटपाथ दुकानदारों को इस संबंध मे कम–से–कम 30 दिन पहले नोटिस मिल जानी चाहिए ।
ग) प्रभावित फेरी–टोकरेवालों की पुनर्वास के लिए योजना बनाने व लागू करने में भागीदारी होनी चाहिए ।
घ) उजाड़े गये फुटपाथ दुकानदारों को उनकी आजीविका को संवारने में और जीवन स्तर सुधारने में या कम–से–कम पहले जैसा बनाने में सहायता मिलनी चाहिए।
ड़) संपदा के नुकसान के लिए मुआवजा जरुर मिलना चाहिए ।

फेरी–टोकरेवालों के मध्य संगठनात्मक प्रयास

फेरी–टोकरेवाले असंगठित क्षेत्र के भाग हैं, इन्हें संगठित करने के पीछे मुख्य उद्देश्य
निम्न सेवाएं प्रदान करना हैः

- समूह बीमा की पहुंच
- वित्तीय सेवाओं की पहुंच
- छोटे व मध्यम वर्गीय व्यवसाय का विकास
- अतंतः आवास सुविधाएं प्रदान करना

इसके साथ ही उन्हें संगठित करने की जरुरत संयुक्त मोर्चा तैयार कर उनके अधिकारों की रक्षा करने व वार्ता के लिए भी है।

इस संदर्भ में यह जरुरी है कि स्ट्रीट वेंडर संगठनों जैसे, स्वयं सहायता समूह, सहकारी समितियां और दूसरे स्वरुपों को उन्हें सशक्त बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। संगठन में पर्याप्त प्रणालियां निर्मित होनी चाहिए और इसे पेशेवर लोगों द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए।

❖ **स्व–नियंत्रण**

बाह्य अधिकारियों द्वारा नियंत्रित होने के अलावा यह भी अत्यंत आवश्यक है कि फेरी–टोकरीवाले स्व–नियंत्रण को बढ़ावा दें, खासकर निम्न मामलों में:

- स्वास्थ्यपरकता या गुणवत्ता नियंत्रण

यह खाना बेचनेवाले फुटपाथ दुकानदारों और खासकर जो स्कूलों, पार्कों आदि के निकट दुकान लगाते हों, के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन जगहों पर अधिकतर ग्राहक बच्चे होते हैं।

जबकि, गुणवत्ता नियंत्रण आवश्यक है, 'स्वास्थ्य निरीक्षक' की भूमिका हॉकरों के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए, स्व–नियंत्रण इसके लिए सबसे उपयुक्त रास्ता है और हॉकर एसोसिएशन/यूनियन को यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

- **सफाई**

फुटपाथ दुकानदारों को कूड़ा–कचड़ा व गंदगी को सही ढंग से हटा कर अपने वातावरण को साफ रखने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए ।

- **सुरक्षा**
- **कार्यवाई का परिमाण (निश्चित क्षेत्र में कार्यरत वेंडरों की संख्या)**

प्रत्येक क्षेत्र, जहां कार्य होता है, की एक सीमा होती है और फेरी के लिए भी यह सही है। लोगों की संख्या में बढ़ोत्तरी से जटिलता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिस कारण कार्य में बाधा आती हैं। अगर जगह निश्चित हो जाय तो इस स्थिति से बचा जा सकता है। एक स्थान पर खास व्यवसाय के वेंडरों की संख्या का मानक होना चाहिए। पंजीकरण प्रणाली में शामिल हॉकर यूनियन/एसोसिएशन की सहभागिता का उपयोग कार्यवाई के परिमाण को नियंत्रित करने में किया जा सकता है। ताकि निश्चित सीमा का अतिक्रमण न हो।

- **राज्य सरकारों की भूमिका**
  - o नीति के प्रावधानों को लागू करने को सुनिश्चित करना ।

6. नगर निगम और पुलिस कानून

6.1 पुलिस एक्ट और भारतीय दंड संहिता की कुछ धाराओं के अंतर्गत फुटपाथ दुकानदारी के व्यवसाय में बाधा उत्पन्न की जाती है। वे धाराएं हैं:
भारतीय दंड संहिता की धारा 283 (सार्वजनिक रास्तों या मार्ग निर्देशन पर खतरा या रुकावट) किसी कार्य के द्वारा अपने अधिकार के किसी साजो–सामान के साथ आदेश को नहीं मानते हुए सार्वजनिक रास्तों या सार्वजनिक मार्ग निर्देशन पर खतरा उत्पन्न करता है, रुकावट डालता है या किसी व्यक्ति को घायल करता है तो उसे सजा के साथ 200 रु. तक का दंड दिया जाना चाहिए। इस दोष के अंतर्गत रुकावट पैदा करने के आरोप में दंड दिया जाना संभव है।

पुलिस एक्ट की धारा 34 : कोई व्यक्ति, किसी गलनी या सार्वजनिक स्थलों पर रुकावट नहीं पैदा कर सकता है

- जानवरों या गाड़ी को स्वीकृति
- किसी गाड़ी को खड़ी कर या छोड़ना पालतू जानवरों को सड़क पर हांकर कर छोड़ना
- गलियों या सार्वजनिक स्थ्लों के किसी भाग को गाड़ियों या जानवरों को खड़े करने के लिए प्रयोग कर।
- कोई बक्सा,गटर या दूसरे कोई भी सामान अनिश्चित समय के लिए बिना किसी नियंत्रण के गली में छोड़ना
- बेचने के लिए कुछ भी प्रदर्शित करना या लगाना, किसी स्टॉल, बूथ या किसी अन्य तरीके से।

6.2 इन दो प्रावधानों के कारण वैधानिक लाइसेंसीकृत वेंडरों और अवैधानिक रुकावटों, जिसके कारण लाइसेंसीकृत वेंडरों को भी हटाया जाता है, के बीच गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। नीति में सभी राज्यों को अपने पुलिस एक्ट में संशोधन करने के लिए कहा गया है। एक्ट में निम्न वाक्यांश जोड़ने के लिए कहा गया है।

'अच्छे व्यवसासियों/सेवा प्रदायकों को कुछ उचित नियमों के साथ छोड़कर' ।

6.3 केन्द्र सरकार को भारतीय दंड संहिता की धारा 283 में संशोधन करना चाहिए।

6.4 राज्य सरकारों को नगर निगम एक्ट के निषेधात्मक प्रावधानों को हटाना चाहिए, ताकि फुटपाथ दुकानदार शहर के योजना के अंग बन सकें।

7. आत्म नियमंन

बाहरी एजेंसियों के देखरेख के अलावा फुटपाथ दुकानदारों के लिए यह भी आवश्यक है कि वे स्व–नियमन करें खासकर निम्न मुद्दों पर,

7.1 स्वास्थ्य एवं गुणवता नियत्रंणः यह महत्वपूर्ण है कि फुटपाथ दुकानदार कुछ संवेदनशील इलाके जैसे कि स्कूलों एवं पार्को के नजदीक जहां पर कि बच्चों की संख्या अधिक होती है के पास खाने पीने की चीजों को में की गुणवत्ता बनाए रखे। यद्यपि गुणवता नियंत्रण आवश्यक है, 'स्वास्थ्य निरीक्षक' का प्रचलन को समीक्षा करने की जरुरत है।

7.2 स्वच्छताः फुटपाथ दुकानदारों को कूड़ा कचरा को ठीक ढंग से निपटारा करके बनाए रखने की जिम्मेवारी का भी वहन करना चाहिए।

7.3 कार्य करने का पैमाना : (एक निश्चित क्षेत्र में फुटपाथ दुकानदारों की संख्या): प्रत्येक भूमि के टुकड़े को उपयोग करने की एक क्षमता होती है यह फुटपाथ दुकानदारी के लिए भी लागू होती है। अत्यंत अधिक उपयोग कई समस्याओं एवं तनावों की जन्म देती है जिनसे कुछ निर्देशों के पालन करने पर बचा जा सकता है अतः किसी निशचित क्षेत्र में निशचित व्यवसाय के निशचित फुटपाथ दुकानदारों की संख्या को मानना चाहिए। हॉकर यूनियन/संघ में रजिस्ट्रेशन एवं भागीदारी से इनकी संख्या को नियंत्रण में रखा जा सकता है। (ताकि वे निशचित सीमा को पार न कर सके) ।

8.1 ऋृण सुविधा : फुटपाथ दुकानदारी जो कि असंगठित क्षेत्र का एक भाग है कि औपचारिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थानों से विशेषतः उनके आर्थिक क्रियाकलापों के लिए न के बराबर ऋृण प्राप्त होता है जिनके अभाव में उन्हें महाजन से बहुत ऊँचे दर पर ऋृण लेना पड़ता है। नाबार्ड ने पहले से ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों को अर्थ अर्जन के लिए ऋृण देने के लिए बैंको को पुनर्वित का कार्य शुरु कर दिया है। इसी तरह बैंको को वेडरों के स्वयं सहायता समूह को ऋृण देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के तहत उन्हें वेंडरों को उनके स्वयं सहायता समूह का संगठन, उसका नेटवर्क एवं उनका संघ बनाने के लिए गैर सरकारी संगठन से मदद प्राप्त होना चाहिए। ताकि वे संगठित क्षेत्र के वित्तीय एवं फुटपाथ दुकानदारों में एक आपसी परस्पर संबंध बन सके। जिससे कि उन्हें न केवल अर्थोपार्जन के लिए वरन् जरुरत के मुताबिक घर बनाने के लिए बड़े ऋृण की प्राप्ति हो सके।

8.2. बीमा/सामाजिक सुरक्षाः हालांकि बीमा क्षेत्र विदेशी निवेश के लिए बहुत ही उदार तरीके से खोल दिए गए है तथापि भारत के कुल बीमा योग्य जनसंख्या का केवल 12 प्रतिशत ही बीमित हुआ है इसका अर्थ यह है कि औसतन एक व्यक्ति पर बीमा साधारण मानक से काफी कम है। बीमा एक सुविधा ही नहीं बल्कि एक सामाजिक दायित्व है। फुटपाथ दुकानदार जो कि असंगठित क्षेत्र के भाग है का जीवन काफी अनिश्चित है अतः उन्हें संघ के द्वारा बीमित करना चाहिए।

एक बीमा कंपनी द्वारा दी जानेवाली सेवाएँ है जैसे जीवन बीमा, समूह बीमा, अपगंता के विरुद्ध बीमा, पेंशन निधी इत्यादि।

हमारे देश में यद्यपि सामाजिक सुरक्षा की जरुरत काफी है लेकिन सरकार के लिए अपने सीमित संसाधनों एवं अपने सीमित स्रोतों से असंगठित क्षेत्र को सामाजिक सुरक्षा पहुंचाना एक कड़ी चुनौती होगी। अब तक सरकार की कोशिश वृद्धा पेंशन तक ही अटक कर रह गई है। अतः यह असंगठित क्षेत्र के लिए यह जरुरी है कि वह एक ऐसा व्यवस्था बनाए जिससे कि निधि की दिशा बदलकर असंगठित क्षेत्र के लोगों को सामाजिक सुरक्षा पहुंचाए।

सामाजिक सुरक्षा साधारणतयाः डाक्टर देखभाल, बीमारी, मातृत्व लाभए रोजगार में दुर्घटना एवं वृद्धा पेंशन इत्यादि का सम्माहित करता है । हमारे देश मे सामाजिक सरुक्षा कार्यक्रम मुख्यतः दो भागों में बंटा है यथा भागीदारी गैर भागीदारी। भागीदारी कानून वे है हैं जिनमें कि सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए श्रमिक से एवं नियेक्ता दोनों से योगदान राशि ली जाती है और कुछ मामले में सरकार द्वारा अनुदान/योगदान द्वारा पूरा किया जाता है। महत्वपूर्ण योगदान योजनाएं है– ..... भविष्य निधि (च्थ्) पेंशन के लिए योजना इत्यादि ।

फुटपाथ दुकानदार न सिर्फ असंगठित क्षेत्र के भाग है बल्कि स्व–रोजगारी होने के कारण भागीदारी भी कर सकता है। सरकार इसमें अपनी तरफ से उनके बराबर सहयोग राशि दे सकती है। यद्यपि बीमा योजनाएं असंगठित क्षेत्र को प्राप्त है जिनके की फुटपाथ दुकानदार एक भाग है, लेकिन उनके बिखरे होने के कारण, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रवर्तक को उनके लाभ पहुँचाने में परेशानी होती है।

क. फुटपाथ दुकानदारों से रजिस्ट्रेशन कार्यालय द्वारा सहयोग राशि इकट्ठा करना

- फुटपाथ दुकानदारों के लिए कल्याण बोर्ड का निर्माण । बैंकों को फुटपाथ दुकानदारों से मासिक सहयोग राशि वसूलने के लिए निर्देश दिए जाये या तो वेंडर महीने अपनी सहयोग राशि को बैंकों मे जमा करेंगे। महीने के अंत में बैंक महीने भर की जमा पूंजी को कल्याण बोर्ड में स्थानांतरित कर देंगे।
- एक निश्चित राशि सामाजिक सुरक्षा सुविधा जैसे कि स्वास्थ्य, मेडीक्लेम, पारिवारिक पेंशन इत्यादि के लिए जमा की जायेगी। इस तरह की व्यवस्था के लिए अधिनियम बनाने की जरुरत पड़ेगी।
- दूसरा विकल्प यह है कि फुटपाथ दुकानदारों का संघ को स्वयंसेवी संगठनों या अन्य एजेंसियों का सहयोग मिलना चाहिए जिससे कि स्वयं सहायता समह को प्रोत्साहन मिल सके तथा नेटवर्किंग एवं संघीकरण हो और वे एक वित्तीय संगठन की तरह उभर सकें जो कि ऋृण एवं अन्य कार्य जैसे बीमा या वृद्धा पेंशन को प्रदान कर सके।

चूंकि ये चंदे केवल श्रमिको की तरफ से है, यह अतः वांछनीय होगा कि सरकार भी इसमें आवश्यक सहयोग राशि उसमें मिलाएं। सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत निम्नांकित सेवाएं प्रदान की जाएगी।

(i) स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बीमा
(ii) मातृत्व लाभ
(iii) पेंशन

9. फुटपाथ दुकानदारों का संगठनीकरण

9.1. फुटपाथ दुकानदार असंगठित क्षेत्र के एक अभिन्न अंग है। इनके संगठन बनाने का मुख्य उद्देश्य निम्नांकित है।

- विभिन्न प्रकार के बीमा सेवाओं तक पहुंच

- वित्तीय सेवाओ तक पहुंच
- छोटे एवं मध्यम प्रतिष्ठानों का विकास
- आवास, आगे चलकर
- व्यवसायिक प्रशिक्षण तथा सामर्थ्य विकास (जानकारी एवं क्षमता विकास)

9.2 इसके अलावा यह उनके अधिकार के रक्षा के लिए एक संगठित मंच की स्थापना करने के लिए भी उनको संगठित करना आवश्यक है। इस संबंध में, फुटपाथ दुकानदारों का संगठन जैसे स्वयं सहायता समूह, को–ऑपरेटिव एवं अन्य प्रकार को विकास को एक सुचारु रुप से चलाने के लिए एक सशक्त व्यवस्था होनी चाहिए एवं तकनीकि एवं पेशेवर लोगों द्वारा देखभाल होना चाहिए।

10. राज्य सरकार की भूमिका

सभी राज्य सरकारों को यह तय करना होगा कि उनका संस्थानिक व्यवस्था वैद्यानिक ढांचा, एवं अन्य आवश्यक कार्य फुटपाथ दुकानदारों की राष्ट्रीय नीति के अनुरुप होगी।

11. भविष्य योजना

फुटपाथ दुकानदारों पर एक विस्तृत सर्वे ताकि उनपर एक राष्ट्रव्यापी विशेषतः बड़े एवं मध्यम आकार के शहरो में एक आंकड़ा प्राप्त हो सके ।

अनुसूची ८

दिल्ली मास्टर प्लान ने विभिन्न क्षेत्रों के विकास योजना में असंगठित क्षेत्र को व्यवसाय में शामिल करने का प्रस्ताव दिया। जिसके मानक हैः

खुदरा व्यवसाय

केंद्रीय व्यापारिक जिला	3–4 इकाईयां प्रति 10 औपचारिक दुकाने
उप–केंन्द्रीय व्यापारिक जिला,जिला केन्द्र, सामुदायिक केंद्र, सुविधाजनक बाजार केन्द्र	मानक में अलग से उल्लिखित
सरकारी और व्यावसायिक कार्यालय	5–6 इकाईयां प्रति 1000 कर्मचारी
थोक व्यवसाय और मालवाहक कॉम्पलेक्स	3–4 इकाईयां प्रति 10 औपचारिक दुकाने
अस्पताल	3–4 इकाईयां प्रति 100 बेड
बस टर्मिनल	1 इकाई प्रति 2 बस
विद्यालय	
प्राथमिक	3–4 इकाईयां
माध्यमिक / उच्च / उच्चतर समयोजित	5–6 इकाईया
पार्के	
क्षेत्रीय / जिला पार्क	8–10 इकाई पति मुख्य द्वार

पास पड़ोस के पार्क	2–3 इकाईयां
रिहायशी	1 इकाई प्रति 1000 नागरिक
औद्योगिक	5–6 इकाईयां प्रति 1000 कर्मचारी
रेलवे टर्मिनल	परियोजना की तैयारी के समय किए जाने वाले सर्वे पर आधारित